supplied to Members of Parliament. Both the publications are priced publications. However, to enable the interested MPs to go through these publications, 10 copies of each will in future be placed in the libraries of Lok Sabha and Rajya Sabha.

(e) In order to enable the Members of Parliament to acquaint themselves with the changing dimensions of our trade, Training Programmes/Workshops and Conference can be organised by the Institute, if they are sponsored and supported by the Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats.

गुजरात में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और विकलांग श्रेणी के व्यक्ति

*547. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 1994 की स्थिति के अनुसार गुजरात में उन विकलांग व्यक्तियों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके नाम संबंधित रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने विकलांग व्यक्तियों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है;

(ग) क्या गुजरात में रोजगार कार्यालयों द्वारा विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये निर्धारित आरक्षण कोटा भर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (घ) 31.12.1993 को नवीनतम उपलब्ध स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में विकलांग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के वर्गों से संबंधित रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या, यह आवश्यक नहीं कि उनमें सभी बेरोजगार हों, निम्नलिखित थी:—

श्रेणी	चालू रजिस्टर पर संख्या (हजार में)
विकलांग	13.6
अनुसूचित जाति	172.6
अनुसूचित जनजाति	3.6

गुजरात में वर्ष 1991, 1992 एवं 1993 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नियोजित किये गये व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित थी:—

श्रेणी	1991	1992	1993
	के दौरान नियोजित किये गये व्यक्तियों की संख्या (हजार में)		
विकलांग	0.4	0.8	0.7
अनुसूचित जाति	1.9	2.3	2.1
अनुसूचित जनजाति	2.5	4.3	4.4

गुजरात में रोजगार कार्यालय, नियोक्ता की मांग के अनुरूप, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विकलांगों के आरक्षित कोटे की सूची भेज रहे है।

Representations Regarding Functioning of ITPO

*548. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have received any representations regarding functioning of India Trade Promotion Organisation (ITPO) in 1994-95;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what action has been taken on such representation?